न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र।
उपस्थितिः– अनिल कुमार खरवार, उ0प्र0 न्यायिक सेवा.,
फौजदारी वाद संख्या–995/ 2014 मु0अ0सं0–172/ 2013

राज्य बनाम गंगेश्वर व अन्य
धारा–379 भा0दं0सं0
थाना–करमा जनपद सोनभद्र।

–: आरोप :–

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्त देवराज यादव को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः– यहकि दिनांक 07/08.11.2013 को समय रात्रि में बहद स्थान मकान वादी पंकज कुमार स्थित ग्राम तिलौली कला, थाना करमा, जनपद सोनभद्र में आप अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादी का ट्रैक्टर पावर ट्रैक पंजीयन संख्या–यू0पी064एस–3504 जो वादी के दरवाजे पर खड़ा था, को बदनियतीपूर्वक उठा कर ले गये। इस प्रकार आपने चोरी का अपराध कारित किया। आपका यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा–379 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 16.12.2016

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांकः 16.12..2016

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।